

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक :- रीडर/वन प्रत्या./ 2017/279

दिनांक :- 24.05.2017

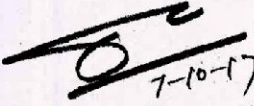
55

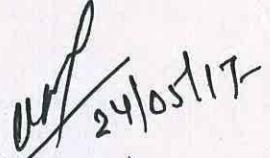
प्रेषिति :- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
उदयपुर

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत काकन गडावन से खाण्डाफला वन भूमि की (पैकेज नम्बर आर. जे.32 डब्लू बी. 118) एवं नाल से डुंगरा वन भूमि की (पैकेज नम्बर आर. जे.32 डब्लू बी. 93) प्रत्यावर्तन हेतु संशोधित एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

प्रसंग :- श्रीमान के पत्र क्रमांक प.12/3 () राज/2017/897 दिनांक 19.05.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत काकन गडावन से खाण्डाफला वन भूमि की (पैकेज नम्बर आर. जे.32 डब्लू बी. 118) एवं नाल से डुंगरा वन भूमि की (पैकेज नम्बर आर. जे.32 डब्लू बी. 93) प्रत्यावर्तन हेतु वनअधिकार समिति बैठक कार्यवाही विवरण तथा संशोधित एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


7-10-17
बी. ल. सिंह
सहायक प्रमुख
सा.नि.वि. उपखण्ड ऋषभदेव


24/05/17
(शैलेश सुराणा)
उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव

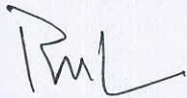
कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर द्वारा राजस्व ग्राम- सोमावत ग्राम पंचायत-सोमावत, तहसील-ऋषभदेव, जिला उदयपुर में नाल से डूंगरा तक सड़क निर्माण कार्य कि.मी. 0/400 से 1/790 एवं 2/390 से 3/750 (2710 मीटर) तक जिसके हाल आराजी नम्बर 4070, 4116, 3903, 3906, 3913, 4073, एवं 4075 कुल क्षेत्रफल 1.63 हैक्टर वन भूमि के संबंध में आज दिनांक 24.5.2017 को जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

उक्त सड़क निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 1.63 हैक्टर वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। तदनुसार नाल से डूंगरा सड़क निर्माण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नम्बर	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि (हैक्टर)	वन अधिकार पत्र जारी/ दावा स्वीकृत / विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1.	नाल से डूंगरा सड़क निर्माण कार्य	0/400 से 1/790 एवं 2/390 से 3/750 (2710 मीटर)	सोमावत 4070, 4116, 3903, 3906, 3913, 4073, एवं 4075	सोमावत	1.63	नहीं	ग्राम पंचायत आयोजित ग्राम सभा दिनांक 15.08.2015 एवं उपखण्ड स्तरीय बैठक दिनांक.....


उपवन सरक्षक

उदयपुर

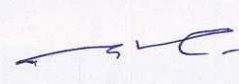

परियोजना अधिकारी

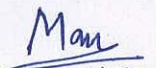
टी.ए.डी. उदयपुर

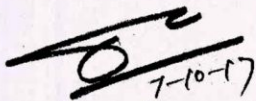

जिला कलक्टर

उदयपुर


(श्री भंवर सिंह पंवार)
(सदस्य)


(श्री दौलत सिंह कलासुआ(मीणा)
(सदस्य)


(श्रीमती मांगीदेवी)
(सदस्य)


7-10-17
उपवन सरक्षक
सा.नि.वि. उपखण्ड ऋषभदेव

FORM-1
(For Linear Project)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, UDAIPUR (RAJ.)

No.: ~~Rev/2017/~~ प. 39/11/2015/जे.व. 5.9/वि.वि. 2017/1030

Dated: 31/5/17

REVISED TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98 FC (Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 1.63 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of forest department Udaipur is being diverted in lieu of use of 1.63 hectare of forest land in Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Nirman new road work from Nal to Dungra in District Udaipur. This 1.63 Hectare of forest land in Khasra No. 4070, 4116, 3903, 3906, 3913, 4073, एवं 4075 fall in village Samawat within jurisdiction of Rishabhdev Teshil.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.63 hectare of forest area proposed for diversion, A copy of records of all consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabaha(s) Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their Consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Inc.:- Gram Sabha Samiti
Sub Divisional Samiti
and Distt. Level Samiti

24/3115
District Collector
Udaipur (Raj.)

7-10-17
डी. जे. सिंह
सहायक अधीक्षक
सा.नि.वि. उपखण्ड बल्लभदेव

उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव उदयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

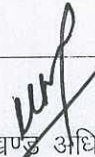
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर द्वारा राजस्व ग्राम— सोमावत ग्राम पंचायत—सोमावत, तहसील—ऋषभदेव, जिला उदयपुर में नाल से डूंगरा तक सड़क निर्माण कार्य कि.मी. 0/400 से 1/790 एवं 2/390 से 3/750 (2710 मीटर) तक जिसके हाल आराजी नम्बर 4070, 4116, 3903, 3906, 3913, 4117 एवं कुल क्षेत्रफल 1.63 हैक्टर वन भूमि के संबंध में आज दिनांक 23.5.2017 को उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

उक्त सड़क निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 1.63 हैक्टर वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। तदनुसार नाल से डूंगरा सड़क निर्माण हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

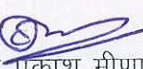
क्र. सं.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नम्बर	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि (हैक्टर)	वन अधिकार पत्र जारी/ दावा स्वीकृत / विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1.	नाल से डूंगरा सड़क निर्माण कार्य	0/400 से 1/790 एवं 2/390 से 3/750 (2710 मीटर)	सोमावत 4070, 4116, 3903, 3906, 3913, 4117	सोमावत	1.63	नहीं	ग्राम पंचायत आयोजित ग्राम सभा दिनांक 15.08.2015


क्षेत्रीय वन अधिकारी
खैरवाड़ा

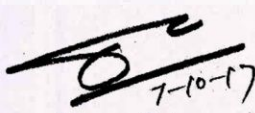

पदेन सचिव
विकास अधिकारी ऋषभदेव


उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव उदयपुर


(श्रीमती मन्जुदेवी)
सदस्य उपखण्ड स्तरीय
वन अधिकार समिति


(विमल प्रकाश मीणा)
सदस्य उपखण्ड स्तरीय
वन अधिकार समिति

()
सदस्य उपखण्ड स्तरीय
वन अधिकार समिति


7-10-17
सी. एन. सिंह
सदस्य उपखण्ड स्तरीय
सा.नि.वि. उपखण्ड ऋषभदेव

1334

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव उदयपुर

क्रमांक: राजस्व/वअ/2017/

दिनांक :

प्रमाण-पत्र

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-9/98 एफसी (पीटी) दिनांक 3 अगस्त 2009, जिसमें कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (एम.ओ.ई.एफ.) के तहत वन अधिकार के निपटान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर, निपटान की प्रक्रिया पूर्ण होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने की दिशा में यह प्रमाणित किया जाता है कि उदयपुर जिले की ऋषभदेव तहसील के ग्राम नाल से डूंगरा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु $2710 \times 6.00 = 1.63$ हैक्टर वन भूमि सड़क बनाने हेतु गैर वन के लिए प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

- क. तहसील ऋषभदेव के ग्राम नाल से डूंगरा तक ग्राम सोमावत के खसरा नम्बर आराजी नम्बर 4070, 4116, 3903, 3906, 3913 एवं 4117 में से $2710 \times 6 = 1.63$ हैक्टर वन भूमि जो कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है, के लिए वनाधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की पहचान और निस्तारण के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। जिसके अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत सोमावत की ग्राम सभा द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। (संलग्न ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत सोमावत से प्राप्त प्रमाण पत्र)।
- ख. उपर्युक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तहसील ऋषभदेव की ग्राम पंचायतों में (पूर्ण परियोजना के विवरण और उसके प्रभाव के साथ स्थानीय भाषा में) एफ.आर.ए. की प्रासंगिकता के तहत पात्र, वनवासियों से सम्बन्धित ग्राम सभा में रखा गया है। तथा ग्राम पंचायत सोमावत (1 के अध्यक्षीन) सोमावत की ग्राम सभा द्वारा भूमि को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया।
- ग. तहसील ऋषभदेव से सम्बन्धित ग्राम सभा ने प्रासंगिकता के तहत सभी औपचारिकताएँ / प्रक्रियाओं के अपनाते हुए प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के उद्देश्यों को विस्तृत रूप से समझकर विकास और मुआवजा (यदि कोई हो) के उपाय करने एवं प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है एवं प्रमाणित किया है।
- घ. तहसील ऋषभदेव में ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सोमावत में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पूर्ण कोरम होने के पश्चात् विधिवत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर सर्शत अनापत्ति दी गई है।
- इ. वनाधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत जरूरी सरकार द्वारा प्रबन्धित सुविधाओं के लिए वन भूमि का प्रत्यावर्तन हो चुका है और ग्राम पंचायत सोमावत की ग्रामसभा ने यह करने की अपनी सहमति दे दी है।
- ई. लागू नहीं है।

7-10-17
डी.एन. सिंह
सहायक प्रभियंता
सा.नि.वि. उपखण्ड ऋषभदेव

23/05/17
उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव-उदयपुर

ग्राम-सभा - २२-११-२०१६

आज दिनांक २२-११-२०१६ को ग्राम पंचायत सोमावत में सामुदायिक भवन सभला में ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

पंचायत समिति जयप्रदेव से प्राप्त आदेशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की सेवा परिक्षा निम्न २०१६ के आवेदकों के अनुसार ग्राम पंचायत के भीतर मरेगा योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्य एवं वृद्धा आवास योजना का सामुदायिक अड्डा बनाने हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच साहिब सुशी मिनाक्षी भीणा ने की।

उपस्थित अधिकारी कमिश्नरी

(१)			
(२)			
(३)	संगीता देवी	वार्ड पंच वार्ड नं० १	संगीता
(४)	बलु लाल	वार्ड पंच वार्ड नं० २	बलु लाल
(५)	मणीलाल	वार्ड पंच वार्ड नं० ३	
(६)	शान्तीलाल	वार्ड पंच वार्ड नं० ४	शान्तीलाल
(७)	चित्ते गीतादेवी	वार्ड पंच वार्ड नं० ५	मीरा देवी
(८)	मीरा देवी	वार्ड पंच वार्ड नं० ६	मीरा देवी
(९)	अमृत लाल	वार्ड पंच वार्ड नं० ७	अमृतलाल

उपस्थित आज की ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के उत्साह लिया की

ग्राम पंचायत सोमावत उद्यान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत

सोमावत जाल से डुगरा फल तड स्वीकृत

सड़क निर्माण में आगे वाली भूमि

१.६३ है जो वन विभाग के नाम से

दर्ज हो इस सड़क निर्माण में आगे

वन विभाग भूमि रकबा १.६३ है

प्राप्ति लाल

अशु

सुनेवा

शान्ति

समय

ग्राम पंचायत, सोमावत (पं. स. जयप्रदेव, जिला उदयपुर (राज.))

1-11-17
वी. ल. सिंह
सहायक प्रमुख
सा. नि. वि. उपस्थित सदस्य

ग्राम सेवक पद संविधान

ग्राम पंचायत, सोमावत
पं. स. जयप्रदेव नि. उदयपुर (राज.)

के बजाय ग्राम सोमावत की आराजी नम्बर पा ७४ रकबा १.१९ हे०	भौगा
प्रिस्म बिलगाम पडाड आराजी नम्बर ५२२६ रकबा ०.४७ हे० कुल कितना र	११५११ जीवा
रकबा २.०४ हे० भूमि वन विभाग के दर्ज कि जाती है तो ग्राम पंचायत सोमावत को कोई आपत्ती नहीं है।	५५५५
ग्राम सभा द्वारा इस प्रस्ताव का सर्व सभ्यता से अनुमोदन किया गया। अतः सडक पर वन अधिकार अधिनियम के तहत कार्य जमागत एवं सांख्यिकीय वन अधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है। और गांधी वन मार्ग में विचारार्थ है	शंकर
७७१० २ आप की लंबाई में उपस्थित सभ्यता सदस्यों को सामाजिक ऊर्ध्व कमेटी	भाना
के सदस्यों द्वारा महात्मा गांधी रोप गार गारंटी योजना के बारे में उपस्थित सदस्यों को बताया गया	उत्ताया
इसके बाद सामाजिक ऊर्ध्व की टीम द्वारा ग्राम पंचायत	नरसिमा
सोमावत के महा नरेगा सम्बन्धी सभी कामों का निरीक्षण किया	कावल्कर
गया। सामाजिक ऊर्ध्व टीम द्वारा सभी कामों का निरीक्षण कराया	जीवा
गया। इसके बाद ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों को निरीक्षण	नगा
पहा - पहा पर काम हुआ उन्हें पट कर सुनाया गया।	७-१०-१७
इसके बाद उपस्थित टीम द्वारा एक चीज का गोलीन सत्पापक	सायब
किया गया। जो कि कोई रपीरस्ट पंजीयन रपीरस्ट परिसम्पत्ती	ग्राम पंचायत, सोमावत
रपीरस्ट शिवालय रपीरस्ट स्त्रोत रपीरस्ट काही नरेगा से	पं. स. अश्वभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
सम्बन्धित सभी रपीरस्ट को ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों को पटकर	ग्राम पंचायत, सोमावत

ग्राम सेवाक पदेन सचिव
 ग्राम पंचायत, सोमावत
 पं. स. अश्वभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

सायब
 ग्राम पंचायत, सोमावत
 पं. स. अश्वभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

७-१०-१७
 सी. एन. सिंह
 सहायक प्रिन्सिपल
 सा. नि. वि. उदयपुर अश्वभदेव